क्रम-संख्या–45

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल० डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 17 मार्च, 2025

फाल्गुन 26, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

———————

संख्या 46 / 79-वि-1–2025-1-क-1-2025

लखनऊ, 17 मार्च, 2025

———————

अधिसूचना

विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2025 जिससे आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–10 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 17 मार्च, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2025 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2025

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2025)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 5 फरवरी, 2025 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974 द्वारा यथा पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थातः—

"उपाध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अथवा प्राधिकृत किया जाय।"

(ख) उपधारा (4) निकाल दी जायेगी।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2025 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2025

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———————

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) उत्तर प्रदेश के कतिपय क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के लिये तथा उससे सम्बन्धित मामलों का उपबंध करने के लिये अधिनियमित किया गया है।

पूर्वोक्त अधिनियम में, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की नियुक्ति पूर्णकालिक होने का उपबंध है। राज्य में गठित कुछ विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र/कार्य तथा सीमित संसाधनों के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा प्रायः ऐसे विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष के पद पर पूर्ण कालिक नियुक्ति नहीं की जाती है बल्कि सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट को उपाध्यक्ष के पद का अतिरिक्त प्रभार दी जाती है। मीरजापुर—विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के गठन हेतु अधिसूचना दिनाँक 13—09—2018 में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबंध किया गया हैः ''राज्य सरकार द्वारा नियुक्त/जिला मजिस्ट्रेट मीरजापुर— उपाध्यक्ष''। मीरजापुर—विन्ध्याचल विकास प्राधिकरण के गठन हेतु अधिसूचना के उपर्युक्त उपबंधों का संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अधिनियम के उपबंधों के अधीन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष का पद सम्बन्धित जिला के जिला मजिस्ट्रेट को न सौंपे जाने सम्बन्धी प्रेक्षण किया है, जिससे राज्य के ऐसे अन्य विकास प्राधिकरण जहाँ पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की गयी है, उनमें पूर्ण कालिक उपाध्यक्ष की नियुक्ति हेतु माननीय न्यायालयों में मुकदमा होने की सम्भावना है। उपर्युक्त के दृष्टिगत, कार्य हित में तथा संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग किये जाने के उद्देश्य से विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति के सम्बन्ध में ''राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु नियुक्त अथवा प्राधिकृत अधिकारी'' का उपबंध किये जाने के उद्देश्य से पूर्वोक्त अधिनियम की धारा—4 को संशोधित किये जाने का विनिश्चय किया गया ।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही आवश्यक थी, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 05 फरवरी, 2025 को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2025 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2025) प्रख्यापित किया गया ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 46(2)/LXXIX-V-1–2025-1-ka-1-2025

Dated Lucknow, March 17, 2025

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Yojna Aur Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 2025 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 2025) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 17, 2025. The Aawaas evam Shahri Niyojan Anubhag-10 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH URBAN PLANNING AND DEVELOPMENT (AMENDMENT) ACT, 2025

(U.P. Act no. 1 of 2025)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Ammendment) Act, 2025.

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 5th day of February, 2025.

Amendment of section 2 of President's Act no. 11 of 1973 as re-enacted by U.P. Act no. 30 of 1974

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973,–

(a) *For* clause (b) of sub-section (3), the following clause shall be *substituted*, namely :–

"a Vice-Chairman to be appointed or authorised by the State Government."

(b) Sub-section (4) shall be *omitted.*

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 1 of 2025

3. (1) The Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Ordinance, 2025, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

————

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 (President's Act No. 11 of 1973) is enacted to provide for the planned development of certain areas of Uttar Pradesh and for matters connected therewith.

In the aforesaid Act, there is a provision for the appointment of the Vice-Chairman of the Authority to be full-time. Keeping in view the area/work and limited resources of some of the development authorities constituted in the State, the State Government often does not make full-time appointment to the post of Vice-Chairman of such development authorities, but gives additional charge of

the post of Vice-Chairman to District Magistrates of the concerned districts. In the notification dated September 13, 2018 for the formation of Mirzapur-Vindhyachal Development Authority, the following provision has been made regarding the Vice-Chairman of the Authority: "Appointed by the State Government/District Magistrate Mirzapur- Vice-Chairman." Taking cognizance of the above provisions of the notification for the formation of Mirzapur-Vindhyachal Development Authority, the Hon'ble High Court has made an observation regarding not assigning the post of Vice-Chairman of Development Authority to the District Magistrate of the concerned district under the provisions of the Act, due to which there is a possibility of litigation in the Hon'ble Courts for the appointment of full time Vice-Chairman in such other development authorities of the State where full time Vice-Chairman has not been appointed. In view of the above, in the interest of work and with the objective of optimal use of resources, it was decided to amend section 4 of the aforesaid Act with the objective of making provision for "an officer appointed or authorized by the State Government for this purpose" in relation to appointment to the post of Vice-Chairman of Development Authority.

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Urban Planning and Development (Amendment) Ordinance, 2025 (U.P. Ordinance No. 1 of 2025) was promulgated by the Governor on February 5, 2025.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 545 राजपत्र–2025–(1458)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 199 सा0 विधायी–2025–(1459)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।